जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत

षष्ठम् बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

तिथि	:	06 अप्रैल, 2021 (मंगलवार)
समय	:	पूर्वाह्न 11:30 बजे से
स्थान	:	एन.आई.सी. नैनीताल (वीडियो कान्फ्रेन्स)
फोन	:	05965– 230285
फैक्स	:	05965– 230295
ई–मेल	:	dm-chp-ua@nic.in/ dda.champawat@gmail.com
वेब साइट	:	http://ddac.org.in

दिनांकः 06 अप्रैल, 2021, दिन मंगलवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत की षष्ठम बोर्ड बैठक वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई।

बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रहीः–

1– श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल – अध्यक्ष
2– श्री विनीत तोमर, जिलाधिकारी, चम्पावत – उपाध्यक्ष
3– श्री बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष जि.स्त.वि.प्रा. उधमसिंह नगर – सदस्य (पदेन)
(सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आवास विभाग, देहरादून के प्रतिनिधि)
4– श्री त्रिलोक सिंह मर्तोलिया, अपर जिलाधिकारी, चम्पावत – सचिव
5– श्री हरि शंकर सिंह बिष्ट, सहयुक्त नियोजक, कुमाऊँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग, हल्द्वानी।
(मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून के प्रतिनिधि) – सदस्य (पदेन)
6– श्री ऋचांशु शर्मा, वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत – सदस्य (पदेन)
(सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि)
7– श्री वी.के. जोशी, अधिशासी अभियंता, पेयजल निगम, चम्पावत।
(प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड पेयजल एवं निर्माण निगम, देहरादून के प्रतिनिधि। – सदस्य (पदेन)
8– श्री अभिनव कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्पावत
(जिलाधिकारी द्वारा नामित) – सदस्य (पदेन)

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण की षष्ठम् बोर्ड बैठक प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात प्रस्तावित बैठक के ऐजेण्डा बिन्दुओं पर क्रमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। ऐजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

मद संख्या–06.01

पंचम बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः–

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की पंचम बोर्ड बैठक दिनांक–22.09.2020 की कार्यवाही को बोर्ड के सभी सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित उक्त पंचम बोर्ड बैठक की कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है। अतः पंचम बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाहीः– **पंचम बोर्ड बैठक के संबन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः सर्वसम्मति से विगत् बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।**

मद संख्या 06.02

पंचम बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत की पंचम बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या **अनुलग्नक–1** पर संलग्न है।

कार्यवाही:– अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 22.09.2020 को सम्पन्न पंचम बोर्ड बैठक के अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नवत् निर्देश दिये गये:–

1. मार्ग की चौड़ाई एवं सीमांकन (R.O.W.) के संबंध में संबंधित विभाग से सूचना एकत्रित करते हुए मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाय।
2. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अन्तर्गत आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्य करवायें जाय।
3. ऑन–लाईन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली का प्राधिकरण स्तर पर शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. पूर्व बोर्ड बैठकों में लिये गये अन्य निर्णयों/निर्देशों का भी कियान्वयन/अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

मद संख्या:– 06.03:–

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत का वित्तीय वर्ष 2020–21 का वास्तविक आय–व्ययक दिनांक 31.03.2021 तक एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु प्रस्तावित बजट की स्वीकृति के संबंध में।

(क) राजस्व आय:– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत का प्राधिकरण गठन उपरान्त दिनांक 31.03.2021 तक विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व आय एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है:–

क. सं.	विनियमित क्षेत्र	शासन से प्राप्त राशि	मानचित्र स्वीकृति हेतु नियत शुल्क	शमन शुल्क	विविध (ब्याज इत्यादि)	व्यय धनराशि	कुल अवशेष धनराशि
1	7,37,429.00	50,00,000.00	67,77,664.00	4,76,055.00	9,83,540.00	4,89,661.00	**1,34,85,027.00**

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित उपकर शुल्क सहित कुल राजस्व आय रू. 1,14,44,500.00 के सापेक्ष रू. 74,56,883.00 का लक्ष्य विभिन्न मदों में प्राप्त किया गया है।

(ख) राजस्व व्यय:– जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत का प्राधिकरण गठन उपरान्त दिनांक 31.03.2021 तक विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि 17,00,000.00 के सापेक्ष रू. 2,58,804.00 का व्यय विभिन्न मदों में किया गया है।

(ग) प्रस्तावित राजस्व व्यय:–

संयुक्त मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून के पत्र संख्या:–1263/उडा–01/2014, दिनांक 05–02–2019 द्वारा शासन से स्वीकृत रू0 50.00 लाख (पचास लाख मात्र) की धनराशि राज सहायता के रूप में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को आवंटित की गयी है, जिसमें से रू. 45,10,339.00 की धनराशि प्राधिकरण के पास अवशेष है। उक्त धनराशि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय के सभी कार्यों का संचालन सुचारू रूप से किये जाने हेतु आवंटित हुयी है। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के

सापेक्ष अवशेष धनराशि से प्राधिकरण के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 के व्यय का प्रस्ताव निम्नवत् है:–

क.सं.	मद का नाम	धनराशि	औचित्य
1	वेतन आदि	2.00 लाख	प्राधिकरण में आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।
2	फर्नीचर/उपकरण एवं फोटो स्टेट मशीन/मरम्मत	2.00 लाख	प्राधिकरण में फर्नीचर, उपकरण तथा फोटोस्टेट मशीन, अनुरक्षण कार्य हेतु प्रस्तावित धनराशि की आवश्यकता है।
3	विज्ञापन और प्रचार	2.00 लाख	प्राधिकरण के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं समय–समय पर विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु प्रस्तावित धनराशि की आवश्यकता है।
4	कार्यालय (लेखन सामग्री इत्यादि) व्यय	2.00 लाख	प्राधिकरण के मुख्यालय, चम्पावत एवं क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर के सुचारू संचालन हेतु प्रस्तावित धनराशि की आवश्यकता है।
5	कानूनी व्यय	1.00 लाख	प्राधिकरण के कानूनी मामलों में पैरवी हेतु धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।
6	सी.ए. ऑडिट	0.50 लाख	प्राधिकरण की आय–व्यय का सी.ए. ऑडिट हेतु धनराशि की आवश्कता है।
7	वाहन क्रय हेतु	26.00 लाख	प्राधिकरण हेतु वाहन की आवश्यकता होने के कारण धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।
	योग–	**35.50 लाख**	

उक्तानुसार वित्तीय वर्ष– 2021–22 हेतु वेतन मद में रू. 2.00 लाख, फर्नीचर/उपकर एवं फोटोस्टेट मशीन/मरम्मत मद में रू. 2.00 लाख, विज्ञापन और प्रचार–प्रसार हेतु 2.00 लाख, कार्यालय (लेखन सामग्री इत्यादि) मद में रू. 2.00 लाख, कानूनी

व्यय हेतु रू. 1.00 लाख, सी.ए. ऑडिट हेतु रू. 0.50 लाख तथा वाहन क्रय किये जाने हेतु रू. 16.00 लाख कुल धनराशि रू. 35.50 (पैंतीस लाख पचास हजार) स्वीकृत करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:– प्रस्तुत बजट का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्राधिकरण की आवश्यकता के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा विभिन्न मदों में रू. 33.50 लाख की धनराशि निम्नानुसार स्वीकृत की गयी:–

क.सं.	मद का नाम	धनराशि
1	वेतन आदि	6.00 लाख
2	फर्नीचर/उपकरण एवं फोटो स्टेट मशीन/मरम्मत	3.00 लाख
3	विज्ञापन और प्रचार	2.00 लाख
4	कार्यालय (लेखन सामग्री इत्यादि) व्यय	5.00 लाख
5	कानूनी व्यय	1.00 लाख
6	सी.ए. ऑडिट	0.50 लाख
7	वाहन क्रय हेतु	16.00 लाख
	योग–	33.50 लाख

वेतन आदि मद में रू. 5.00 लाख स्वीकृत कराने के औचित्य के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराया गया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत में शासन द्वारा स्वीकृत पदों के सापेक्ष किसी भी कार्मिक की नियुक्ति/तैनाती नहीं हुयी है। प्राधिकरण स्तर पर अन्य विभागों के अभियंत्रण संवर्ग के अभियंताओं को क्षेत्र आवंटित कर विभागीय कार्यों के साथ–साथ प्राधिकरण के कार्यों हेतु नामित किया गया है तथा कार्यालय के कार्यों का सम्पादन जिला कार्यालय में कार्यरत कर्मी के माध्यम से कराया जा रहा है। जनपद में प्राधिकरण के कार्यों हेतु स्थाई अभियंता/कार्मिकों की नियुक्ति/तैनाती न होने के कारण प्राधिकरण के कार्यों के सुचारू सम्पादन में कठिनाईयां हो रही हैं।

अतः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत में कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत जनहित एवं राजकीय कार्यहित में 01 अभियंता तथा 01 बहुउद्देश्यीय कार्मिक कुल 02 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती/नियुक्ति का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही:– प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण चम्पावत के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु 01 बहुउद्देश्यीय कार्मिक तथा 01 अवर अभियंता कुल 02 पदों पर उपनल के माध्यम से कार्मिक नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्याः—06.04:—जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत हेतु उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हेतु 01 वाहन एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय हेतु 1 वाहन कय करने की अनुमति के संबंध में।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के कार्यों के सफल संचालन एवं आवश्यकता के दृष्टिगत उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हेतु 01 वाहन (इनोवा) एवं कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हेतु 01 वाहन (बुलेरो) कय करने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत।

कार्यवाहीः—

प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव पर विचार—विमर्श उपरान्त केवल 01 वाहन उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, चम्पावत के हेतु वाहन मद में रू. 16.00 लाख अनुमन्य किया गया। जिसके लिए शासनादेशानुसार निर्धारित प्रकिया के अनुसार वाहन कय कर लिया जाय।

मद संख्याः—06.05:—

अधिसूचना संख्याः—707/V—2—आ0—2021—105(आ0)/2013 टी.सी. दिनांक 24 मार्च, 2021 द्वारा प्रख्यापित एक बार समाधान योजना, 2021 का अंगीकरण/अनुमोदन के संबंध में।

एकल आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, आवासीय/व्यवसायिक भू—उपयोग में व्यवसायिक दुकान/कार्यालय, आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ओ0पी0डी0/पैथोलॉजी लैब/डाइग्नोस्टिक सेन्टर/चाइल्ड केयर/नर्सरी स्कूल/कैच एवं प्ले ग्रुप स्कूल आदि के संबंध में किये गये अनियमित निर्माण कार्य एक बार समाधान योजना, 2021 के तहत शमन/विनियमितिकरण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग—2, देहरादून की अधिसूचना संख्याः—707/V—2—2021—105(आ.)/2013 टी.सी. दिनांक 24 मार्च, 2021 का अंगीकरण/अनुमोदन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत।

कार्यवाहीः—

प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एक बार समाधान योजना, 2021 हेतु निर्गत अधिसूचना को **अंगीकृत करते हुए योजना का व्यापक—प्रचार कर तद्नुसार कार्यवाही की जाय।**

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

6/4/21

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
चम्पावत।

आयुक्त/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
चम्पावत।